



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-15042023-245171
CG-DL-W-15042023-245171

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 15—अप्रैल 21, 2023 (चैत्र 25, 1945)
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 15—APRIL 21, 2023 (CHAITRA 25, 1945)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	339	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	427	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	11	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1275	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	705
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	3
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	1169
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	339	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	427	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	11	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1275	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	705
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1169
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 2023

शुद्धि पत्र

सं. 174-प्रेस/2021—भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-1 में दिनांक 31 जुलाई, 2021 को प्रकाशित राष्ट्रपति सचिवालय की गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर विशिष्ट सेवा मेडल से संबंधित दिनांक 26 जनवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या 78-प्रेस / 2021 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

क्र.सं. 125 में

के स्थान पर	पढ़ा जाए
विंग कमांडर शैलेश कुमार गौर (23230) उड़ान (नेविगेशन)	ग्रुप कैप्टन शैलेश कुमार गौर (23230) उड़ान (नेविगेशन)

एस एम समी
अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 2023

संकल्प

सं. 5(3)-बी(पी.डी.)/2023—आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2023-2024 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। यह दर 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं :

1. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
 2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
 3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
 4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
 5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
 6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
 7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
 8. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
 9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
 10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।
2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आशीष वच्छानी
अपर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 24th March 2023

CORRIGENDUM

No. 174-Pres/2021—The following amendments are made in this Secretariat Notification No.78-Pres/2021 dated the 26th January, 2021 published in Part I Section 1 of the Gazette of India dated the 31st July, 2021 relating to "Vishisht Seva Medal (VSM)".

At Sl. No. 125 of VSM

For	Read
Wing Commander Shailesh Kumar Gaur (23230) Flying (Navigation)	Group Captain Shailesh Kumar Gaur (23230) Flying (Navigation)

S.M. SAMI
Under Secretary

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 10th April 2023

RESOLUTION

No. 5(3)-B(PD)/2023—It is announced for general information that during the year 2023-2024, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1% (Seven point one percent) w.e.f. 1st April, 2023 to 30th June, 2023. This rate will be in force w.e.f. 1 April, 2023. The funds concerned are:—

1. The General Provident Fund (Central Services).
 2. The Contributory Provident Fund (India).
 3. The All India Services Provident Fund.
 4. The State Railway Provident Fund.
 5. The General Provident Fund (Defence Services).
 6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
 7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
 8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
 9. The Defence Services Officers Provident Fund.
 10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.

ASHISH VACHHANI
Additional Secretary